[2018] 12 एस. सी. आर. 143

पी. राधा बाई और ओआरएस।

वी.

पी. अशोक कुमार और एएनआर।

(सिविल अपील सं। 7710-7713 2013 का)

26 सितंबर, 2018

[एन. वी. रमना और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

अपने पूर्ववर्ती द्वारा छोड़े गए-ब्याज में-मध्यस्थता-मध्यस्थता पुरस्कार-इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने कथित रूप से दुर्भावना में, उत्तरदाताओं के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया प्रत्यर्थी को कुछ अतिरिक्त संपत्तियाँ देने के लिए सहमत होना। 1 – प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में अपीलार्थियों द्वारा उपहार विलेखों और विमोचन विलेखों के निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर विचार किया गया। 1 - हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने विलेखों के निष्पादन में देरी की और इस बीच, पुरस्कार को चुनौती देने के लिए तीन महीने की अवधि और 30 दिनों की विस्तारित अवधि 1996 के अधिनियम की धारा 34 (3) समाप्त हो गई-प्रत्यर्थियों ने दायर किया

आवेदन यू / 1996 के अधिनियम की धारा 34 (3) के कारण हुई देरी को माफ करने की मांग करने वाले आवेदन के साथ पुरस्कार को अलग करने के लिए

उन पर की गई कथित धोखाधड़ी के कारण देरी को माफ करने के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया-प्रतिवादियों द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं में, उच्च न्यायालय ने मामले को एस की प्रयोज्यता के संबंध में निचली अदालत में भेज दिया। 17 , आवेदन में सीमा अधिनियम यू / 1996 के अधिनियम की धारा 34-आयोजितः एक बार जब पार्टी को पुरस्कार मिल जाता है, तो सीमा अवधि यू / धारा 34 (3), 1996 अधिनियम की शुरुआत - सीमा अधिनियम की धारा 17 इस तरह की आपत्ति के बचाव में नहीं आएगी।

पक्षकार-वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं को पुरस्कार यू/एस को चुनौती देने का अधिकार था। 34 जिस क्षण उन्होंने इसे प्राप्त किया-उत्तरदाताओं ने 21.02.2010 पर पुरस्कार प्राप्त किया-एक बार उत्तरदाताओं को पुरस्कार प्राप्त होने के बाद, वह समय जब वे / धारा 34 (3) शुरू की गई-केवल इसलिए कि अपीलकर्ताओं ने कुछ धोखाधड़ी की थी, यह उत्तरदाताओं के पुरस्कार को चुनौती देने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा यदि तथ्यों को दाखिल करने का अधिकार है। 34 आवेदन उनकी जानकारी में था-उत्तरदाताओं के लिए यह अनिवार्य था कि उन्होंने एक आवेदन यू / एस. 34 ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए खारिज कर दिया-देरी को माफ करने का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अलग रखी गई आपत्तियों को दाखिल करने में-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम,

1996 – एसएस। 29 , 33 , 34 (3) और 36.

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 29- इसका उद्देश्य -

चर्चा की।

शब्द और वाक्यांश "सीमा की अवधि शुरू नहीं होगी

s के संदर्भ में "चलाने के लिए", "नहीं बनाया जा सकता है", "व्यक्त बहिष्कार"। 17 , सीमा अधिनियम और एस. एस. 34 (3) और 1996 के अधिनियम की 29 (2)

-

इसका अर्थ-सीमा अधिनियम, 1963 - एस. 17-मध्यस्थता और

सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 34 (3) और 29 (2)।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 धारा 29 (2), मध्यस्थता और सुलह अधिनियम,

1996 इसे 2 अंगों में विभाजित किया गया है। यह उक्त प्रावधान के "और" संयोजन से स्पष्ट है। प्रथम भाग में कहा गया है कि विशेष कानून या स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित सीमा अवधि अनुसूची में निर्धारित सीमा अवधि पर प्रबल होगी -

सीमा अधिनियम। इस मामले में, मध्यस्थता अधिनियम एक "विशेष कानून" है जो 1996 के अधिनियम के तहत पारित मध्यस्थता पुरस्कार पर आपत्तियां दायर करने के लिए धारा 34 (3) में सीमा की एक विशिष्ट अवधि निर्धारित करता है और इसके परिणामस्वरूप 1996 के अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। सीमा अधिनियम, 1963 के तहत कोई प्रावधान नहीं है।

मध्यस्थता अधिनियम के तहत पारित एक पुरस्कार को चुनौती देने के साथ। दूसरा भाग यह आदेश देता है कि सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 सीमा की अवधि निर्धारित करने के लिए लागू होगी "केवल उस हद तक जहां तक वे इस तरह के विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं।" इस प्रकार सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के अनुप्रयोग की सीमा मध्यस्थता अधिनियम के तहत सीमा अवधि निर्धारित करने के लिए केवल तभी लागू होगी जब उन्हें मध्यस्थता अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं किया गया हो। [पैरा 20,21 और 22] [157-ए-डी]

1.2 धारा 17, सीमा अधिनियम, 1963 का विस्तार या विस्तार नहीं है।

सीमा अवधि को तोड़ें। यह केवल स्थगित या स्थगित करता है

सीमा अवधि की शुरुआत। यह वाक्यांश "सीमा की अवधि शुरू नहीं होगी" से स्पष्ट है।

[पैरा 32] [160-जी]

1.3 धारा 34 (3) की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) पारित पुरस्कार को चुनौती देने के लिए धारा 34 ही एकमात्र उपाय है।

मध्यस्थता अधिनियम के भाग I के तहत। धारा 34 (3) एक राधा बाई और ओआरएस है।

वी. पी. अशोक कुमार और एएनआर।

सीमा प्रावधान, जो उपचार में अंतर्निहित है

प्रावधान। किसी को भी सीमा अधिनियम को देखने की आवश्यकता नहीं है

या सीमा अवधि की पहचान करने के लिए कोई अन्य प्रावधान

मध्यस्थता अधिनियम। सीमा अवधि शुरू करने की समय सीमा भी धारा 34 (3) में प्रदान की गई है अर्थात वह समय जब से आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ प्राप्त हुआ था।

धारा 33 के तहत किसी अनुरोध का अधिनिर्णय या निपटान

पुरस्कार में सुधार और व्याख्या।

धारा 34 (3) धारा 33 के तहत पुरस्कार की प्राप्ति या अनुरोध के निपटारे की तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन दायर करने पर रोक लगाती है। धारा 34 (3) में इस वाक्यांश का उपयोग किया गया है "तीन महीने बीत जाने के बाद अलग रखने के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है"। वाक्यांश "नहीं बनाया जा सकता है" से है

एक पुरस्कार को चुनौती देने के लिए। एक बार जब मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देने के लिए समय सीमा या विस्तारित समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 के तहत निर्णय को लागू करने की अवधि शुरू हो जाती है। यह वाक्यांश से स्पष्ट है "जहां धारा के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन करने का समय है।

34 समाप्त हो गया है "। पुरस्कार को चुनौती देने के लिए धारा 34 (3) के तहत निर्धारित अवधि और पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए धारा 36 के तहत प्रवर्तन अवधि की शुरुआत के बीच एक अभिन्न संबंध है। [पैरा 34]

[161 - सी-जी; 162-ए-जी]

1.4 यदि सीमा अधिनियम की धारा 17 को धारा 34 (3) के तहत सीमा अवधि को समाप्त करने के लिए लागू किया जाना था, तो यह होगा

निम्नलिखित परिणाम [2018] 12 एस. सी. आर

धारा 34 (3) में, प्रारंभ अवधि के लिए गणना की सीमा पुरस्कार की प्राप्ति की तारीख है या

धारा 33 के तहत अनुरोध के निपटारे की तारीख (अर्थात

सुधार/अतिरिक्त पुरस्कार)। यदि धारा 17 को धारा के तहत सीमा अवधि की गणना के लिए लागू किया जाना था 34 (3) , सीमा की प्रारंभिक अवधि की तारीख होगी

कथित धोखाधड़ी या गलती का पता लगाना। धारा 34 (3) के तहत सीमा के लिए प्रारंभिक बिंदु अलग होगा

सीमा अधिनियम।

धारा 34 (3) का परंतुक न्यायालय को सक्षम बनाता है -

तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद पुरस्कार को चुनौती देने के लिए एक आवेदन पर विचार करें, लेकिन केवल एक महीने के भीतर

तीस तिथियों की अतिरिक्त अवधि, "लेकिन उसके बाद नहीं"। "लेकिन उसके बाद नहीं" वाक्यांश के उपयोग से पता चलता है कि 120 दिनों की अवधि एक पुरस्कार को चुनौती देने के लिए बाहरी सीमा है। यदि धारा 17 लागू की जानी थी, तो किसी पुरस्कार को चुनौती देने के लिए बाहरी सीमा 120 दिनों से अधिक हो सकती थी। वाक्यांश "लेकिन उसके बाद नहीं" को निरर्थक और अन्य रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के प्रावधान में "लेकिन उसके बाद नहीं" शब्द अनिवार्य प्रकृति के हैं, और जोड़ दिए गए हैं।

नकारात्मक शब्दों में, जो संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है।

[पैरा 35] [162-एफ-जी; 163-ए-डी]

व्यक्त बहिष्करण का अनुमान या तो विशेष कानून की भाषा से लगाया जा सकता है या यह आवश्यक रूप से विशेष कानून की योजना और उद्देश्य से निहित किया जा सकता है। धारा 34 (3) की भाषा के साथ उपरोक्त विसंगतियाँ

मध्यस्थता अधिनियम सीमा अधिनियम की धारा 17 के "स्पष्ट बहिष्करण" के समान है। इसके अलावा, धारा 17 का अपवर्जन भी अनिवार्य रूप से निहित है जब कोई इस पर विचार करता है। मध्यस्थता अधिनियम की योजना और उद्देश्य।

[पैरा 25,36 और 38] [158-बी-सी; 163-ई; 164-बी]

सबसे पहले, मध्यस्थता अधिनियम का उद्देश्य एक

त्वरित विवाद समाधान प्रक्रिया। का वक्तव्य

उद्देश्यों और कारणों से पता चलता है कि मध्यस्थता अधिनियम को लागू करने का विधायी इरादा पक्षों को एक कुशल वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली प्रदान करना था जो पी. राधा बाई और ओआरएस देता है।

वी. पी. अशोक कुमार और एएनआर।

वादी अदालतों पर बोझ को कम करते हुए विवादों का त्वरित समाधान करते हैं। अनुच्छेद 34 (3) इस आशय को दर्शाता है जब यह प्रारंभ और समापन अवधि को परिभाषित करता है।

एक पुरस्कार को चुनौती देने के लिए। मध्यस्थता अधिनियम के तहत अंतिमता एक मौलिक सिद्धांत है और अंतिमता सुनिश्चित करने के लिए किसी पुरस्कार को चुनौती देने के लिए एक निश्चित समय सीमा आवश्यक है। यदि धारा 17 लागू की जानी थी, तो 120 दिनों के बाद भी एक पुरस्कार को चुनौती दी जा सकती है। यह विवादों के त्वरित समाधान के मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा। पुरस्कार की अंतिमता भी अधर में होगी क्योंकि एक दल 120 दिनों की अवधि के बाद भी पुरस्कार को चुनौती दे सकता है। दूसरा, सीमा अधिनियम की धारा 17 को धारा 34 तक बढ़ाने से मध्यस्थता अधिनियम की योजना के साथ हिंसा होगी। धारा 36 एक पक्ष को धारा 34 के तहत एक पुरस्कार को चुनौती देने की अवधि समाप्त होने पर पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती है। हालाँकि, यदि धारा 17 को धारा 34 तक बढ़ाया जाना था, तो "निर्धारित करने के लिए आवेदन करने के लिए समय" का निर्धारण।

एक तरफ धारा 36 में मध्यस्थता पुरस्कार अनिश्चित हो जाएगा और पुरस्कार के प्रवर्तन में भ्रम पैदा करेगा। यह मध्यस्थता अधिनियम की योजना और उद्देश्य के विपरीत है।

तीसरा, धारा 34 (3) अटूटता के सिद्धांत को दर्शाती है। सीमा अधिनियम की धारा 17 का विस्तार किया जाएगा।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत निहित 'अटूटता' के सिद्धांत के विपरीत। [पारस 39-42]

[164 - बी-एच; 165-ए-सी]

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और सुलह

यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. मॉडल लॉ ज्यूरिसडिक्शंस, द्वितीय संस्करण। द्वारा

डॉ. पीटर बाइंडर-संदर्भित।

1.7 धारा 17 प्रारंभिक बिंदु को स्थगित नहीं करती है।

सीमा अवधि केवल इसलिए क्योंकि अपीलकर्ताओं ने धोखाधड़ी की है। धारा 17 में सभी प्रकार की धोखाधड़ी और गलतियों को शामिल नहीं किया गया है। धारा 17 (1) (बी) और (डी) में केवल वे शामिल हैं जो

इसका कानूनी उपाय। एक बार जब कोई पक्ष कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक पूर्ववर्ती तथ्यों से अवगत हो जाता है, तो सीमा अवधि शुरू होता है। धारा 34 के संदर्भ में, एक पक्ष पुरस्कार प्राप्त होते ही किसी पुरस्कार को चुनौती दे सकता है।

एक बार

पुरस्कार [2018] 12 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 17 (1) (बी) और (डी) को लागू करने से एक बार जब उसे इसकी जानकारी हो पुरस्कार। सीमा अधिनियम की धारा 17 (1) (ए) और (सी) तब भी लागू नहीं हो सकती है, जब उन्हें धारा 34 तक बढ़ाया जाता है, क्योंकि वे

गलती के परिणाम "। धारा 34 आवेदन आधारित है - पुरस्कार और प्रत्यर्थी की धोखाधड़ी पर नहीं और गलती के परिणाम की राहत नहीं मांगता है। [पारस 44,47] [165-ई-जी; 166-ई-एफ]

1.8 कपटपूर्ण आचरण जहाँ धारा 17

सीमा अधिनियम ने आपत्ति करने वाले पक्ष को मदद की होगी जहां वह है पुरस्कार देने में धोखाधड़ी हुई थी। हालाँकि, ऐसे परिदृश्य में, धारा 17 का सहारा लेना आवश्यक नहीं है। यदि पुरस्कार देने में कोई धोखाधड़ी होती है, तो धारा 34 (3) के तहत पुरस्कार की प्राप्ति की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। पुरस्कार की कोई भी प्राप्ति प्रभावी रसीद होनी चाहिए। [पैरा 48] [166-जी]

1.9 एक बार जब पक्ष को पुरस्कार मिल जाता है, तो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत सीमा अवधि शुरू हो जाती है।

सीमा अधिनियम की धारा 17 ऐसे आपत्ति करने वाले पक्ष के बचाव में नहीं आएगी। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थियों को धारा 34 के तहत पुरस्कार प्राप्त होते ही उसे चुनौती देने का अधिकार था। इस मामले में, उत्तरदाताओं को 21.02.2010 पर पुरस्कार प्राप्त हुआ। कथित समझौता ज्ञापन 09.04.2010 पर निष्पादित किया गया था। एक बार जब उत्तरदाताओं को पुरस्कार प्राप्त हो जाता है, तो धारा 34 (3) के तहत समय शुरू हो जाता है और सीमा अधिनियम की धारा 17 या धारा 9 के अनुसार भी कोई भी बाद की अक्षमता मायने नहीं रखती है। केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने कुछ धोखाधड़ी की थी, यह प्रत्यर्थी के पुरस्कार को चुनौती देने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा यदि धारा 34 आवेदन दाखिल करने के योग्य तथ्य उनकी जानकारी में थे। जिस क्षण उत्तरदाताओं को प्राप्त हो गया है धारा 34 (3) के तहत निर्धारित तीन महीने की अवधि शुरू हो जाती है। उत्तरदाताओं पर यह दायित्व था कि उन्होंने किसी पुरस्कार को चुनौती देने के लिए धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर किया हो। इसलिए, सार्थक रिमांड का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि राधा बाई और ओआरएस के खिलाफ कानून के सवाल का जवाब दिया जाता है।

वी. पी. अशोक कुमार और एआईयहाँ उत्तरदाता। टी के निर्णय और आदेश और आपत्ति में 236 दिनों की देरी को माफ करने वाले आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया है। [पारस 50,51] [167-एफ-एच; 168

विद्याचरण शुक्ला बनाम। खुबचंद बघेल ए. आई. आर. 1964

एससी 1099: [1964] 6 एस. सी. आर. 129-अनुसरण किया गया।

भारत संघ बनाम। लोकप्रिय निर्माण कंपनी।

(2001) 8 एससीसी 470: [2001] 3 पूरक। एससीआर 619; हुकुमदेव नारायण यादव बनाम। ललित नारायण मिश्रा (1974) 2 एससीसी 133: [1974] 3 एस. सी. आर. 31; सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम। होंगो इंडिया (पी) लिमिटेड (2009) 5 एससीसी 791; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। हिमाचल टेक्नो इंजीनियर और ए. एन. आर. (2010) 12 एस. सी. सी. 210 [2010] 8 एस. सी. आर. 1025; असम शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम। सुभाष प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड (2012) 2 एस. सी. सी. 624: [2012] 1 एस. सी. आर. 403; अनिल कुमार

जिनाभाई पटेल (डी) के माध्यम से एल. आर. वी. प्रवीणचंद्र

जिनाभाई पटेल और अन्य। (2018) एससीसी ऑनलाइन एससी 276;

यशवंत देवराव देशमुख बनाम। वालचंद रामचंद

कोठारी [1950] एससीआर 852; पल्लव सेठ बनाम। संरक्षक, (2001) 7 एस. सी. सी. 549 [2001] 1 पूरक। एससीआर 387-निर्भर

पर।

समेकित अभियांत्रिकी उद्यम v. प्रधानाचार्य

सचिव, सिंचाई विभाग (2008) 7 एससीसी 169: [2008] 5 एस. सी. आर. 1108; गोवा राज्य बनाम वेस्टर्न बिल्डर्स (2006) 6 एस. सी. सी. 239 [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 288; कोयला इंडिया लिमिटेड बनाम। उज्ज्वल परिवहन एजेंसी (2011) 1 एस. सी. सी.

117 ; एम. पी. आवास बोर्ड बनाम मोहनलाल एंड कंपनी (2016) 14

एस. सी. सी. 199; छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड बनाम।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (2010) 5

एससीसी 23: [2010] 4 एससीआर 680; गोपाल सरदार बनाम। करुणा सरदार (2004) 4 एससीसी 252: [2004] 2 एस. सी. आर. 826; भारत संघ बनाम। टेको त्रिची इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (2005)

4 एससीसी 239: [2005] 2 एस. सी. आर. 983-संदर्भित।

ए. बी. सी. कं. लिमिटेड बनाम एक्सवाईजेड कंपनी लिमिटेड [2003] एसजीएचसी 107

(सिंगापुर का उच्च न्यायालय)-संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2001] 3 पूरक। एससीआर 619

उस पर भरोसा करें

पै
रा 10

[2008] 5 एससीआर 1108

संदर्भित किया गया है

पै
रा 10

(2011) 1 एससीसी 117

संदर्भित किया गया है

पै
रा 23

(2016) 14 एससीसी 199

संदर्भित किया गया है

पै
रा 23

[1964] 6 एससीआर 129

पै
रा 26

पीछा किया।

[1974] 3 एससीआर 31

उस पर भरोसा करें

पै
रा 27

(2009) 5 एस. सी. सी. 791

उस पर भरोसा करें

पै

रा 28

[2010] 4 एससीआर 680

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

[2004] 2 एससीआर 826

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

[2010] 8 एससीआर 1025

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

[2012] 1 एससीआर 403

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

[1950] एससीआर 852

उस पर भरोसा करें

पै

रा 45

[2001] 1 पूरक। एससीआर 387

उस पर भरोसा करें

पै

रा 46

संदर्भित किया गया

पै

रा 48

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 7 ' 7713 2013 से।

सिविल संशोधन याचिका में आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 18.06.2012 से

नं. 2151 , 2246 , 2383 और 2012 का 2458।

देवांश ए. मोहता, कुमार परिमल, नीलकांत नायक, अनिरु पी. मयी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

यशराज सिंह देवड़ा, सुश्री अस्मितासिंह (मेसर्स मित्तर एंड कंपनी के लिए) अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

पी. राधा बाई और ओआरएस। वी. पी. अशोक कुमार और एएनआर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन. वी. रमना, जे. 1. ये अपीलें दायर की जाती हैं, जो सिविल संशोधन याचिका में 18.06.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से व्यथित होती हैं।

नं. 2151 , 2246 , 2383 और 2012 का 2458 हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया।

2. याचिकाओं के इस समूह में सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 17 के लागू होने के संबंध में कानून का एक दिलचस्प सवाल उठता है।

[* 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम ['मध्यस्थता अधिनियम'] की धारा 34 (3) के तहत निर्धारित अवधि से परे आक्षेपकर्ता (पुरस्कार को चुनौती देने वाले पक्ष) पर की गई कथित धोखाधड़ी के कारण हुई देरी को माफ करने के लिए सीमा अधिनियम।

3. इस सवाल को जन्म देने वाले तथ्य एक संकीर्ण दिशा में आते हैं। मूल रूप से श्री पी. किशन लाल ने व्यवसाय किया और कई संपत्तियों का अधिग्रहण किया। श्री पी. किशन लाल की मृत्यु पर

उनके आठ (8) कानूनी उत्तराधिकारी (अपीलार्थी संख्या। 1 से 6 और प्रत्यर्थी संख्या। 1 और 2)।

4. श्री किशन लाल की मृत्यु के बाद कई विवाद उत्पन्न हुए हैं।

संपत्तियों के विभाजन पर। विवाद को हल करने में विफल रहने के बाद, पक्षकारों ने विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता की ओर रुख किया। पाँच मध्यस्थों को उनकी ग्यारह संपत्तियों पर निर्णय लेने और वितरित करने के लिए नियुक्त किया गया था।

5. 18.02.2010 पर, मध्यस्थों ने संपत्तियों और व्यवसायों के विभाजन के लिए एक सर्वसम्मत पुरस्कार पारित किया। पार्टियां

21.02.2010 पर पुरस्कार प्राप्त किया। पक्षकारों द्वारा पुरस्कार की प्राप्ति पर कोई विवाद नहीं है।

6. प्रत्यर्थियों का आरोप है कि पुरस्कार की घोषणा के बाद, अपीलकर्ताओं ने दुर्भावना से एक ज्ञापन में प्रवेश किया

उत्तरदाताओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)। प्रत्यर्थियों के अनुसार, अपीलकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 को कुछ अतिरिक्त संपत्तियां देने के लिए सहमत हुए, जो पुरस्कार में प्रदान की गई संपत्तियों से अधिक थीं। प्रत्यर्थियों ने आरोप लगाया कि समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने के बाद, अपीलकर्ताओं को समझौता ज्ञापन को प्रभावी बनाने के लिए उपहार और कार्य जारी करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने समझौता ज्ञापन द्वारा विचार किए गए उपहार और विमोचन विलेखों के निष्पादन में देरी की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. इस बीच, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत एक पुरस्कार को चुनौती देने के लिए तीन महीने की अवधि और 30 दिनों की विस्तारित अवधि समाप्त हो गई थी। समय सीमा समाप्त होने के बाद, अपीलार्थी

पुरस्कार के निष्पादन के लिए एक निष्पादन याचिका (ई. पी.) दायर की। निचली अदालत ने माना कि ई. पी. बनाए रखने योग्य नहीं था। अपील पर, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया और कहा कि निष्पादन याचिका बनाए रखने योग्य थी और निचली अदालत को गुण-दोष के आधार पर इसका फैसला करने का निर्देश दिया।

8. जब प्रत्यर्थियों को एहसास हुआ कि अपीलकर्ता समझौता ज्ञापन द्वारा विचार किए गए उपहार विलेख के निष्पादन में देरी कर रहे थे, तो प्रत्यर्थियों ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया। यह फाइलिंग 236 थी।

उत्तरदाताओं द्वारा पुरस्कार की प्राप्ति के कुछ दिनों बाद। आवेदन के साथ धारा 5 के तहत एक और आवेदन था सीमा अधिनियम 236 दिनों की देरी को माफ करने की मांग करता है। विलंब की क्षमा के लिए आवेदन में, उत्तरदाताओं ने आरोप लगाया किः

ए। उत्तरदाताओं को पुरस्कार 21.02.2010 पर दिया गया था;

बी। वे आम लोग थे और कानूनी व्यवस्था के बारे में नहीं जानते थे।

निर्धारित अवधि के भीतर आपत्तियाँ दायर करने की आवश्यकता

मध्यस्थता अधिनियम।

सी। चूंकि वे पुरस्कार से असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने विद्वान मध्यस्थों के समक्ष आपत्तियां उठाई। मध्यस्थों ने सभी पक्षों का आह्वान किया और सुलह की। तदनुसार, दोनों पक्षों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन में प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में उपहार विलेख और विमोचन विलेख के निष्पादन पर विचार किया गया। हालांकि, अपीलकर्ता आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने में विफल रहे

उनके अधिकारों को पराजित करने के इरादे से समझौता ज्ञापन।

डी। उत्तरदाताओं में से एक एक महीने के लिए शारीरिक रूप से अस्वस्थ था।

9. उपरोक्त अंतरिम आवेदन के लंबित रहने के दौरान, विलंब की माफी की मांग करते हुए, प्रत्यर्थियों ने एक और आवेदन दायर किया

2011 के आई. ए. सं. 598 में 2011 का आई. ए. सं. 1977 का आवेदन, जिसमें समझौता ज्ञापन की सत्यता को साबित करने के लिए उप-पंजीयक, चारमीनार को बुलाने के लिए निचली अदालत के आदेश की मांग की गई है और इसमें अपीलकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का मुकाबला करने के लिए, दिनांकित ज्ञापन के मिथ्याकरण और मनगढ़ंत होने के बारे में कहा गया है। कथन की पूर्णता के लिए, यह कहा जा सकता

है कि प्रत्यर्थी द्वारा कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने के लिए 2012 की आई. ए. संख्या 210 और 211 होने के कारण अतिरिक्त आई. ए. की मांग की गई थी।

पी. राधा बाई और ओआरएस। वी. पी. अशोक कुमार और एएनआर। [एन. वी. रमना, जे.]

10. दिनांक 21.02.2012 के आदेश द्वारा, निचली अदालत ने आई. ए. को खारिज कर दिया। 2011 का सं. 598, दाखिल करने में देरी की माफी से संबंधितधारा 34 आवेदन। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त को खारिज करते हुए

जैसा कि ऊपर बताया गया है, निम्नानुसार तर्क दिया गया है

आई. कि न्यायालय को धारा 34 के तहत दी गई अपेक्षित अवधि से आगे सीमा अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं है।

मध्यस्थता अधिनियम।

ii. भारत संघ बनाम पर निर्भरता रखना। लोकप्रिय निर्माण कंपनी, (2001) 8 एस. सी. सी. 470 और समेकित इंजीनियरिंग उद्यम बनाम। प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, (2008) 7 एस. सी. सी. 169 ने कहा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 की भाषा में प्रदान की गई समय अवधि का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।

किसी भी परिस्थिति में। इसलिए, सीमा अधिनियम की धारा 5 की धारा 34 के तहत दायर आवेदन पर लागू नहीं होती थी। मध्यस्थता अधिनियम।

iii. इस माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के प्रावधानों के आधार पर, नगर सिविल न्यायालय ने निर्णय दिया कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का कोई अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि न्यायालय के पास तीन महीने और तीस दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है। केवल इसी आधार पर, धारा 34 के तहत दायर आपत्तियों को खारिज किया जा सकता था।

iv. कि निचली अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी (आक्षेपकर्ता) बीमारी के आधार पर सीमा की अवधि के भीतर आपत्तियां दायर करने में असमर्थ था और इस तरह के दावे को साबित करने के लिए कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया था।

उत्तरदाताओं की ओर से कानून की अज्ञानता, नहीं होनी चाहिए

वी.

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रदान की गई तकनीकीताओं के बारे में जानकारी माफी योग्य नहीं थी।

vi. इसके अलावा, निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वैधानिक कानून के तहत अनिवार्य नहीं अपवाद बनाने के लिए न्यायसंगत आधारों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

हम ध्यान दे सकते हैं कि यद्यपि विचारण न्यायालय ने दिनांकित समझौता ज्ञापन के अस्तित्व और धारा 34 आवेदन दाखिल करने में प्रतिवादी की देरी पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा की, यहाँ धारा 17 [2018] 12 एस. सी. आर. की प्रयोज्यता के बारे में कोई विशिष्ट चर्चा नहीं है।

निचली अदालत के आदेश में सीमा अधिनियम। इसके अलावा, प्रत्यर्थियों द्वारा दायर अन्य अंतरिम आवेदनों को भी परिणामी रूप से खारिज कर दिया गया था।

11. बर्खास्तगी से व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने चार को प्राथमिकता दी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष नागरिक संशोधन याचिकाएं, 2012 की सी. आर. पी. संख्या 2151,2246,2383 और 2458 हैं। दिनांक 18.06.2012 के विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन में सीमा अधिनियम की धारा 17 के लागू होने से संबंधित मामले को निचली अदालत में भेज दिया। उच्च न्यायालय ने कहा

" भले ही श्री के. प्रभाकर, विद्वान वकील उत्तरदाताओं ने तर्क देना चाहा कि जब अधिनियम की धारा 5 है

अधिनियम की धारा 17 भी स्वतः ही बहिष्कृत हो जाती है,

मैं इस पहलू पर कोई भी राय व्यक्त करने से बचता हूं, क्योंकि यह सबसे पहले निचली अदालत द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है

इस न्यायालय के समक्ष एक उपयुक्त मामले में उसी की जांच की जाती है।

स्टेज। इस छोटे से आधार पर, मुझे लगता है कि यह उचित है और

मामले को विद्वान प्रमुख को वापस भेजने के लिए उपयुक्त

न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद

याचिकाकर्ताओं की उपर्युक्त दलीलें और

उसी के संदर्भ में उच्चारण करते हुए धारा 17 के प्रावधान की प्रयोज्यता या अन्यथा

अधिनियम। इसलिए, इन पर कोई राय व्यक्त किए बिना

पहलु, विद्वान मुख्य न्यायाधीश को मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है

केवल इस सीमित सीमा तक और सुनवाई के बाद एक नया आदेश पारित करें

दोनों पक्षों, की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर इस आदेश की प्राप्ति। यह स्पष्ट किया जाता है कि निचले स्तर के आदेश

अन्य पहलुओं के संबंध में न्यायालय की पुष्टि हुई है।

(जोर दिया गया)

12. उच्च न्यायालय द्वारा पारित रिमांड आदेश से व्यथित

कार्यवाहियों पर सीमा अधिनियम की धारा 17 के लागू होने के कारण, अपीलकर्ताओं ने इन अपीलों में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

13. इससे पहले कि हम इस मामले के किसी अन्य पहलू पर गौर करें, यह हो सकता है

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम उच्च न्यायालय के साथ सहमत होते जिसमें सीमा अधिनियम की धारा 17 की प्रयोज्यता पर विचार करने के लिए सामान्य पाठ्यक्रम में रिमांड की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि एक स्पष्ट प्रावधान है। विचारण न्यायालय के आदेश में कारणों की अपर्याप्तता। लेकिन, इस मामले में विवाद को हल करने में काफी देरी हुई है।

इसका उद्देश्य पी. राधा बाई और ओआरएस है। वी. पी. अशोक कुमार और एएनआर। [एन. वी. रमना, जे.]

यदि मामले को अदालतों के समक्ष लंबे समय तक चलने दिया जाता है तो त्वरित न्याय वितरण तंत्र इस तरह की देरी से निराश होगा। हमने सकारात्मक रूप से कई बार पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर आने के लिए राजी किया था और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं से कहा था कि वे मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने और दशकों के मुकदमेबाजी से बचने के लिए अपने अच्छे पदों का उपयोग करें। लेकिन, हमारे प्रयासों को किसी भी घटना में ज्यादा सफलता नहीं मिली। 14. उच्च न्यायालय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन पर सीमा अधिनियम की धारा 17 के लागू होने के कानूनी मुद्दे की जांच कर सकता था। यह विशुद्ध रूप से कानून का सवाल है।

केवल यदि सीमा अधिनियम की धारा 17 किसी धारा 34 के आवेदन पर लागू होती, तो वर्तमान मामले में धारा 17 के घटकों की तथ्यात्मक संतुष्टि और उसके परिणामस्वरूप निचली अदालत में रिमांड का सवाल उठेगा। 15. अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री देवांश ए. मोहता ने तर्क दिया कि

आई. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत प्रदान की गई सीमा अवधि पार्टियों द्वारा पुरस्कार की प्राप्ति पर 'केवल' शुरू होती है और

उसी को एक अलग प्रारंभिक बिंदु से पतला नहीं किया जा सकता है।

सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के आलोक में सीमा अधिनियम के तहत प्रदान किया गया।

ii. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत सीमा की अवधि

यह 'अटूट' है और लगातार चलने के लिए है।

iii. शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिए निश्चित समय सीमा आवश्यक है और

पक्षों के बीच विवादों का प्रभावी समाधान।

iv. लोकप्रिय निर्माण मामले (ऊपर) का अधिदेश और

समेकित अभियांत्रिकी मामला (उपर्युक्त) जिसमें जोर दिया गया है

'निश्चित अवधि' को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

वी. अभिव्यक्ति 'मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त किया था' में पाया गया

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) सीमा अधिनियम की धारा 17 की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से बाहर करती है।

vi. इस न्यायालय को दोनों के बीच के अंतर को समझना चाहिए।

कार्रवाई के अधिकार को छिपाना एक को रोकने से अलग है

कार्रवाई करने वाला व्यक्ति।

16. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील, श्री यशराज सिंह देवड़ा ने तर्क दिया था कि [2018] 12 एस. सी. आर.

लोकप्रिय निर्माण मामले (ऊपर) के तहत प्रदान किया गया तर्क

और समेकित अभियांत्रिकी मामला (उपर्युक्त) स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि

सीमा अधिनियम की धारा 17 की प्रयोज्यता, के समान

सीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता।

सीमा अधिनियम न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों पर लागू होता है।

. यह स्पष्ट है कि धारा 34 (3) के तहत मध्यस्थता अधिनियम प्रदान करता है

चिंतित हैं। हालांकि, 'सीमा की अवधि की गणना' के लिए या धारा 4 के प्रावधानों को 'निर्धारित अवधि' पर पहुंचने के लिए

24 सीमा अधिनियम स्वचालित रूप से लागू होगा जब तक कि वे

विशेष कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत हैं।

कि यह उत्तरदाताओं के लिए अत्यधिक असमान रहा है, जो थे

उत्तरदाताओं को प्रवर्तन के लिए इस मामले को आगे बढ़ाने से रोकें उनके अधिकार।

17. हमने दोनों पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुना है, और

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

18. अब हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या सीमा की धारा 17

धारा के तहत सीमा अवधि का निर्धारण करते समय लागू होते हैं

मध्यस्थता अधिनियम?

19. यह विश्लेषण अनिवार्य रूप से धारा 29 (2) से शुरू होना चाहिए।

अनुकरण अधिनियम, जिसमें कहा गया है

29 (2) जहाँ कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे के लिए विहित करता है,

अपील या आवेदन से अलग सीमा की अवधि

अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि, धारा 3 के प्रावधान

लागू होगा जैसे कि ऐसी अवधि द्वारा निर्धारित अवधि थी

विशेष या स्थानीय कानून, धारा 4 से 24 में निहित प्रावधान (समावेशी) केवल जहां तक लागू होगा, और जिस हद तक,

वे इस तरह के विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं।

(जोर दिया गया)

पी. राधा बाई और ओआरएस। वी. पी. अशोक कुमार और एएनआर। [एन. वी. रमना, जे.]

20. धारा 29 (2) को 2 अंगों में विभाजित किया गया है। यह उक्त प्रावधान के "और" संयोजन से स्पष्ट है। इनके बीच अंतर-संबंध विद्याचरण शुक्ल बनाम में इस न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दो अंगों पर विचार किया गया था। खुबचंद बघेल, [1964] 6 एस. सी. आर. 129।

21. पहले भाग में कहा गया है कि विशेष कानून या स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित सीमा अवधि सीमा अवधि पर लागू होगी।

सीमा अधिनियम की अनुसूची में विहित। इस मामले में, मध्यस्थता अधिनियम एक "विशेष कानून" है जो एक विशिष्ट अवधि निर्धारित करता है -

आवेदन करेंगे। हम यह भी ध्यान देते हैं कि मध्यस्थता के तहत पारित पुरस्कार को चुनौती देने से संबंधित सीमा अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है एक्ट करें।

22. दूसरे भाग में कहा गया है कि सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 सीमा की अवधि निर्धारित करने के लिए लागू होगी "केवल उस हद तक जहां तक वे इस तरह के विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं।" इस प्रकार सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के अनुप्रयोग की सीमा मध्यस्थता अधिनियम के तहत सीमा अवधि निर्धारित करने के लिए केवल तभी लागू होगी जब उन्हें मध्यस्थता अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं किया गया हो।

23. हम इस बात से अवगत हैं कि यह न्यायालय कई फैसलों में

सीमा अधिनियम की धारा 14 को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 तक बढ़ा दिया है और इस तरह जानबूझकर पीछा करने में बिताए गए समय को बाहर कर दिया है। ऐसे न्यायालय में कार्यवाही जिसमें अधिकारिता का अभाव हो। (गोवा राज्य बनाम। वेस्टर्न बिल्डर्स (2006) 6 एस. सी. सी. 239 पैरा 25 पर; समेकित इंजीनियरिंग उद्यम बनाम। प्रमुख सचिव, सिंचाई

विभाग, (2008) 7 एस. सी. सी. पैरा 27 और 29 पर 169; कोल इंडिया लिमिटेड बनाम। उज्ज्वल परिवहन एजेंसी, (2011) 1 एस. सी. सी. 117 पैरा 6 पर; एम. पी. आवास बोर्ड बनाम मोहनलाल एंड कंपनी, (2016) 14 एस. सी. सी. 199 पैरा 13 पर)। इसी तरह, इस न्यायालय ने सीमा अधिनियम की धारा 12 को भी बढ़ा दिया।

मध्यस्थता अधिनियम को और उस दिन को धारा 34 (3) के तहत प्रारंभिक अवधि की गणना से बाहर रखा गया जिस दिन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हम ध्यान देते हैं कि इनमें से कोई भी मामला इस सवाल से संबंधित नहीं है कि क्या सीमा अधिनियम की धारा 17 की योजना मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अनुरूप है।

24. इन घोषणाओं पर भरोसा करते हुए, प्रत्यर्थियों के वकील ने जोर देकर कहा कि धारा 17 का कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है।

मध्यस्थता अधिनियम और इसलिए सीमा अधिनियम की धारा 17 का लाभ धारा 34 (3) के तहत सीमा की अवधि निर्धारित करते समय बढ़ाया जाना चाहिए। 25. इसके लिए हमें सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) में "व्यक्त बहिष्करण" वाक्यांश पर विचार करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय ने मामलों की एक श्रृंखला में कहा कि स्पष्ट बहिष्करण का अनुमान या तो विशेष कानून की भाषा से लगाया जा सकता है या यह आवश्यक रूप से विशेष कानून की योजना और उद्देश्य से निहित किया जा सकता है।

26. विद्याचरण शुक्ल बनाम मामले में पाँच न्यायाधीशों की पीठ। खुबचंद बघेल, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1099, वाक्यांश "एक्सप्रेस" की व्याख्या करते हुए बहिष्करण "देखा गयाः

" तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 116-ए की उप-धारा (3) न केवल ऐसी अपील के लिए सीमा की अवधि प्रदान करती है, बल्कि उन परिस्थितियों का भी प्रावधान करती है जिनके तहत देरी को माफ किया जा सकता है, जिससे संकेत मिलता है कि सीमा अधिनियम के सामान्य प्रावधानों को बाहर रखा गया है। इस तर्क के दो जवाब हैं। सबसे पहले, सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) (ए) एक्सप्रेस की बात करती है।

अपवर्जन लेकिन अधिनियम की धारा 116-ए की उप-धारा (3) में कोई स्पष्ट अपवर्जन नहीं है; दूसरा, जिस परंतुक से एक निहित अपवर्जन की मांग की जाती है, वह इस तरह के किसी भी आवश्यक निहितार्थ का कारण नहीं बनता है।

27. इस सिद्धांत को हुकुमदेव नारायण यादव बनाम में और स्पष्ट किया गया था। ललित नारायण मिश्रा, (1974) 2 एस. सी. सी. 133 जिसमें एक पीठ

तीन न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया किः

" हमारे समक्ष यह तर्क दिया जाता है कि "स्पष्ट रूप से बहिष्कृत" शब्दों का अर्थ यह होगा कि विशेष या स्थानीय कानून में सीमा अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के लिए एक स्पष्ट संदर्भ दिया जाना चाहिए, जिसके संचालन को बाहर रखा जाना है। हमेशा की तरह शब्दकोश में दिए गए अर्थ पर भरोसा किया गया है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या विशेष कानून की योजना, यानी इस मामले में अधिनियम और उसमें प्रदान किए गए उपचार की प्रकृति ऐसी है कि विधानमंडल ने इसे अपने आप में एक पूर्ण संहिता बनाने का इरादा किया है जो अकेले उसके द्वारा प्रदान किए गए कई मामलों को नियंत्रित करेगी। यदि प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करने पर यह स्पष्ट है कि सीमा अधिनियम के प्रावधानों को अनिवार्य रूप से बाहर रखा गया है, तो राधा बाई और ओआरएस।

वी. पी. अशोक कुमार और एएनआर। [एन. वी. रमना, जे.]

उसमें प्रदत्त लाभों को सहायता के लिए नहीं बुलाया जा सकता है -

हमारे विचार के प्रावधानों के पूरक के रूप में, ऐसे मामले में भी जहां विशेष निर्णय सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को एक स्पष्ट संदर्भ द्वारा बाहर नहीं करता है, फिर भी यह अदालत के लिए यह जांच करने के लिए खुला होगा कि क्या और क्या

उन प्रावधानों की प्रकृति या प्रकृति का विस्तार

विशेष कानून की विषय-वस्तु और योजना में उन्हें शामिल नहीं किया गया है

ऑपरेशन "। (जोर दिया गया) 28. सीमा शुल्क आयुक्त में तीन न्यायाधीशों की एक पीठ और

आर. ए. एल. उत्पाद शुल्क बनाम होंगो इंडिया (पी) लिमिटेड, (2009) 5 एससीसी 791

इस सिद्धांत पर विचार किया जब यह माना गयाः

" हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया था कि "स्पष्ट रूप से बहिष्कृत" शब्दों का अर्थ यह होगा कि सीमा अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के लिए विशेष या स्थानीय कानून में एक स्पष्ट संदर्भ दिया जाना चाहिए जिसमें संचालन को बाहर रखा जाना है। इस संबंध में, हमें विशेष कानून की योजना को देखना होगा जो इस मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम है। उसमें दिए गए उपचार की प्रकृति ऐसी है कि विधायिका का इरादा था कि यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता हो जो अकेले उसके द्वारा प्रदान किए गए कई मामलों को नियंत्रित करे। यदि, प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि सीमा अधिनियम के प्रावधानों को अनिवार्य रूप से बाहर रखा गया है, तो उसमें प्रदान किए गए लाभों को सहायता के लिए नहीं बुलाया जा सकता है -

अधिनियम के प्रावधानों का पूरक। हमारे विचार में, कि

यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां विशेष कानून सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को एक स्पष्ट संदर्भ द्वारा बाहर नहीं करता है, फिर भी अदालत के लिए यह जांच करने के लिए खुला होगा कि क्या और किस हद तक, उन प्रावधानों की प्रकृति या विषय-वस्तु की प्रकृति और विशेष कानून की योजना उनके संचालन को बाहर करती है। दूसरे शब्दों में, इसलिए, सीमा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता को सीमा अधिनियम की शर्तों से नहीं, बल्कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों से आंका जाना चाहिए जो संदर्भ आवेदन दाखिल करने से संबंधित हैं।

उच्च न्यायालय "।

29. इन सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा v के संघ में दोहराया गया था। लोकप्रिय निर्माण कंपनी, (2001) 8 एस. सी. सी. 470 पृष्ठ 474 पर;

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड बनाम। केंद्रीय विद्युत शौचालय आयोग, (2010) 5 एस. सी. सी. 23 पैरा 32 पर; गोपाल सरदार

रुना सरदार, (2004) 4 एस. सी. सी. 252 पैरा 13 पर।

30. इस प्रकार, जांच यह है कि क्या मध्यस्थता अधिनियम का पाठ या योजना और टी सीमा अवधि का निर्धारण करते समय कैशन अधिनियम की धारा 17 के अनुप्रयोग को बाहर करता है?31. इसलिए हमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के साथ सीमा की धारा 17 की तुलना करनी होगी। प्रासंगिक भाग

17 राज्यों में

17. धोखाधड़ी या गलती का प्रभाव।

(1) जहाँ, किसी वाद या आवेदन के मामले में जिसके लिए -

इस अधिनियम द्वारा सीमा की अवधि निर्धारित की गई है,

प्रतिवादी या प्रत्यर्थी या उसके अभिकर्ता का; या (ख) उस अधिकार या अधिकार का ज्ञान जिस पर कोई मुकदमा या आवेदन स्थापित किया गया है, ऐसे किसी भी अधिकार या अधिकार की धोखाधड़ी से छिपा हुआ है।

उपरोक्त व्यक्ति; या

((ग) मुकदमा या आवेदन गलती के परिणामों से राहत के लिए है; या

(घ) जहां वादी या आवेदक के अधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक किसी भी दस्तावेज को धोखाधड़ी से उससे छिपा दिया गया है, सीमा की अवधि तब तक चलना शुरू नहीं होगी जब तक कि वादी या आवेदक धोखाधड़ी या गलती का पता नहीं लगा लेता है या उचित परिश्रम के साथ इसका पता लगा सकता है; या एक गुप्त दस्तावेज़ के मामले में, जब तक कि वादी या आवेदक के पास पहले गुप्त दस्तावेज़ या सम्मोहक प्रस्तुत करने का साधन नहीं था।

इसका उत्पादनः

32. धारा 17 सीमा अवधि का विस्तार या उल्लंघन नहीं करती है। यह सीमा अवधि की शुरुआत को स्थगित या स्थगित करता है। वाक्यांश से स्पष्ट है "सीमा की अवधि नहीं होगी

एक भागने के लिए "।

33. इसके विपरीत, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) में कहा गया है

34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन -

(3) पार्टी द्वारा राधा बाई और ओआरएस बनाने की तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद अलग रखने के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।

वी. पी. अशोक कुमार और एएनआर। [एन. वी. रमना, जे.]

उस आवेदन को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था या, यदि कोई अनुरोध किया गया था

धारा 33 के तहत उस तारीख से बनाया गया था, जिस दिन से वह मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अनुरोध का निपटारा कर दिया गया था।

बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट हो कि आवेदक था भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया

तीन महीने की उक्त अवधि में यह आवेदन स्वीकार कर सकता है

(जोर दिया गया) 34. धारा 34 (3) सावधानीपूर्वक जांच और इसकी विशेषताओं के योग्य है।

हाइलाइट किया जाए:

पारित पुरस्कार को चुनौती देने के लिए धारा 34 एकमात्र उपाय है।

मध्यस्थता अधिनियम के भाग I के तहत। धारा 34 (3) एक सीमा है।

प्रावधान, जो उपचार प्रावधान में अंतर्निहित है। एक करता है।

सीमा अधिनियम या किसी अन्य प्रावधान को देखने की आवश्यकता नहीं है

पारित पुरस्कार को चुनौती देने के लिए सीमा अवधि की पहचान करना

मध्यस्थता अधिनियम के भाग I के तहत।

सीमा अवधि शुरू करने की समय सीमा भी है

धारा 34 (3) में उपबंध किया गया है अर्थात वह समय जब से कोई पक्ष गठन करता है।

एक आवेदन "मध्यस्थ पुरस्कार प्राप्त किया था" या निपटान

धारा 33 के तहत सुधार और व्याख्या के लिए अनुरोध

पुरस्कार।

धारा 34 (3) अलग रखने के लिए आवेदन दाखिल करने पर रोक लगाती है।

एक पुरस्कार की तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद

धारा 33 के तहत पुरस्कार की प्राप्ति या अनुरोध का निपटान। अनुभाग

34 (3) वाक्यांश का उपयोग करता है "अलग रखने के लिए एक आवेदन हो सकता है

तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जाएगा। वाक्यांश

" बनाया नहीं जा सकता है "UNCITRAL मॉडल कानून 1 से है और है इसका अर्थ "बनाया नहीं जा सकता" समझा जाता है। का उच्च न्यायालय

सिंगापुर में ए. बी. सी. कं. लिमिटेड बनाम एक्सवाईजेड कंपनी लिमिटेड, [2003] एसजीएचसी 107)

" इस चर्चा का प्रारंभिक बिंदु मॉडल होना चाहिए।

कानून स्वयं। समय के पहलू पर, अनुच्छेद 34 (3) संक्षिप्त है। यह केवल इतना कहता है कि आवेदन के बाद नहीं किया जा सकता है

अलग रखने के लिए आवेदन तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस तारीख को वह आवेदन करने वाले पक्ष को पुरस्कार प्राप्त हुआ था या, यदि यह अनुच्छेद 33 के तहत किया गया था, उस तारीख से जिस दिन वह अनुरोध किया गया था।

माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा "।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक निर्दिष्ट तिथि से तीन महीने का अंतराल। हालांकि

उपयोग किए गए शब्द 'नहीं भी हो सकते हैं' इनकी व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए

' नहीं कर सकते क्योंकि यह स्पष्ट है कि इरादा समय को सीमित करना है।

जिसके दौरान किसी पुरस्कार को चुनौती दी जा सकती है। यह

व्याख्या संबंधित सामग्री द्वारा समर्थित है मॉडल कानून के मसौदों के बीच चर्चा। यह.

मुझे लगता है कि अदालत मनोरंजन करने में सक्षम नहीं होगी

तीन महीने की समाप्ति के बाद दायर किया गया कोई भी आवेदन

अनुच्छेद 34 के रूप में अवधि का मसौदा तैयार किया गया है

सभी को शामिल करने वाला, और केवल, एक को चुनौती देने का आधार

अदालत में पुरस्कार। यह किसी भी विस्तार का प्रावधान नहीं करता है

समय अवधि और, जैसा कि न्यायालय अपनी अधिकारिता प्राप्त करता है

आवेदन को केवल लेख से सुनें, की अनुपस्थिति

इस तरह के प्रावधान का मतलब है कि अदालत को सम्मानित नहीं किया गया है।

समय बढ़ाने की शक्ति के साथ "।

विलम्ब की क्षमा। सीमा अधिनियम की धारा 5 के विपरीत, देरी पर्याप्त कारण दिखाने पर केवल 30 दिनों के लिए माफ किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण वाक्यांश "लेकिन उसके बाद नहीं" विधायी इरादे को प्रकट करता है।

पुरस्कार को चुनौती देने के लिए एक बाहरी सीमा अवधि तय करना।

(ई) चुनौती देने के लिए एक बार समय सीमा या विस्तारित समय सीमा

मध्यस्थता पुरस्कार समाप्त हो जाता है, जिसके तहत पुरस्कार को लागू करने की अवधि समाप्त हो जाती है मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 शुरू होती है। इस बात से पता चलता है कि

वाक्यांश "जहाँ आवेदन करने का समय निर्धारित करना है

एक तरफ धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार समाप्त हो गया है। वहाँ धारा के तहत निर्धारित अवधि के बीच एक अभिन्न संबंध है

34 (3) पुरस्कार और शुरुआत को चुनौती देने के लिए

पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए धारा 36 के तहत प्रवर्तन अवधि।

35. यदि सीमा अधिनियम की धारा 17 को लागू किया जाना था

धारा 34 (3) के तहत सीमा अवधि का खनन, यह होगा

पंखों के परिणाम

(क) धारा 34 (3) में, संगणना के लिए प्रारंभ अवधि सीमा पुरस्कार की प्राप्ति की तारीख या निपटान की तारीख है

धारा 33 (अर्थात सुधार/अतिरिक्त पुरस्कार) के तहत अनुरोध।

सुदृढीकरण। जहां धारा 34 के तहत मध्यस्थता को अलग करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है, या ऐसा आवेदन किया गया है, तो यह निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत लागू किया जाएगा।

उसी तरह जैसे कि यह न्यायालय की डिक्री हो।

राधा बाई और ओआरएस। वी. पी. अशोक कुमार और एएनआर। [एन. वी. रमना, जे.]

यदि धारा 17 को सीमा की गणना के लिए लागू किया जाना था धारा 34 (3) के तहत सीमा की प्रारंभिक अवधि कथित धोखाधड़ी या गलती की खोज की तारीख होगी। धारा 34 (3) के तहत सीमा का प्रारंभिक बिंदु सीमा अधिनियम से अलग होगा।

(ख) धारा 34 (3) का परंतुक एक न्यायालय को तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद एक पुरस्कार को चुनौती देने के लिए एक आवेदन पर विचार करने में सक्षम बनाता है, लेकिन केवल तीस तिथियों की अतिरिक्त अवधि के भीतर, "लेकिन उसके बाद नहीं"। "लेकिन उसके बाद नहीं" वाक्यांश के उपयोग से पता चलता है कि 120 दिनों की अवधि एक पुरस्कार को चुनौती देने के लिए बाहरी सीमा है। यदि धारा 17 लागू की जानी थी, तो किसी पुरस्कार को चुनौती देने के लिए बाहरी सीमा 120 दिनों से अधिक हो सकती थी। वाक्यांश "लेकिन उसके बाद नहीं" को अनावश्यक और निरर्थक बना दिया जाएगा। यह न्यायालय

संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। (हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। हिमाचल टेक्नो इंजीनियर और ए. एन. आर. , (2010) 12 एस. सी. सी. 210, असम

शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड v. सुभाष परियोजनाएँ

& मार्केटिंग लिमिटेड, (2012) 2 एस. सी. सी. 624 और अनिलकुमार जिनाभाई

पटेल (डी) के माध्यम से एल. आर. वी. प्रवीणचंद्र जिनाभाई पटेल और

ओआरएस। , (2018) एससीसी ऑनलाइन एससी 276)

36. हमारे विचार में, मध्यस्थता अधिनियम की भाषा धारा 34 (3) के साथ उपरोक्त विसंगतियां सीमा अधिनियम की धारा 17 के "स्पष्ट अपवर्जन" के समान हैं।

37. पृष्ठ पर लोकप्रिय निर्माण मामले (ऊपर) में यह न्यायालय

उसी दृष्टिकोण को अपनाया जब यह वाक्यांश "लेकिन नहीं" पर निर्भर था।

यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि सीमा अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट रूप से थी

डीड।

12. जहाँ तक 1996 के अधिनियम की धारा 34 की भाषा का संबंध है,

सीमा अधिनियम, और इसलिए के आवेदन को रोक देगा उस अधिनियम की धारा 5। संसद को और आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि न्यायालय परंतुक के तहत विस्तारित अवधि से परे पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकता है, [2018] 12 एस. सी. आर. प्रदान करेगा।

वाक्यांश "लेकिन उसके बाद नहीं" पूरी तरह से अस्पष्ट है। कोई सिद्धांत नहीं व्याख्या इस तरह के परिणाम को उचित ठहराएगी।

(जोर दिया गया)

38. इसके अलावा, धारा 17 का बहिष्करण भी अनिवार्य रूप से निहित है।

जब कोई मध्यस्थता अधिनियम की योजना और उद्देश्य को देखता है।

39. सबसे पहले, मध्यस्थता अधिनियम का उद्देश्य एक

त्वरित विवाद समाधान प्रक्रिया। वस्तुओं का कथन और

कारणों से पता चलता है कि मध्यस्थता अधिनियम को लागू करने का विधायी इरादा पक्षों को एक कुशल वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली प्रदान करना था जो वादियों को अदालतों पर बोझ को कम करते हुए विवादों का त्वरित समाधान देता है। अनुच्छेद 34 (3) इस आशय को दर्शाता है जब यह चुनौती देने के लिए प्रारंभ और समापन अवधि को परिभाषित करता है।

पुरस्कार. लोकप्रिय निर्माण मामले (ऊपर) में इस न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम के तहत निश्चित अवधि के महत्व पर प्रकाश डाला। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि अंतिमता मध्यस्थता अधिनियम के तहत निहित एक मौलिक सिद्धांत है और अंतिमता सुनिश्चित करने के लिए एक पुरस्कार को चुनौती देने के लिए एक निश्चित समय सीमा आवश्यक है। यदि धारा 17 लागू की जानी थी, तो 120 दिनों के बाद भी एक पुरस्कार को चुनौती दी जा सकती है। यह विवादों के त्वरित समाधान के मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा। पुरस्कार की अंतिमता भी अधर में होगी क्योंकि एक दल पुरस्कार को चुनौती दे सकता है।

120 दिन की अवधि के बाद भी।

40. दूसरा, सीमा अधिनियम की धारा 17 को धारा 34 तक बढ़ाना।

मध्यस्थता अधिनियम की योजना के लिए हिंसा करेंगे। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, धारा 36 एक पक्ष को धारा 34 के तहत एक पुरस्कार को चुनौती देने की अवधि समाप्त होने पर पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती है। तथापि, यदि धारा 17 को धारा 34 तक विस्तारित किया जाना था, तो धारा 36 में "मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन करने के लिए समय" का निर्धारण अनिश्चित हो जाएगा और पुरस्कार के प्रवर्तन में भ्रम पैदा करेगा। यह मध्यस्थता अधिनियम की योजना और उद्देश्य के विपरीत है।

41. तीसरा, धारा 34 (3) अटूटता के सिद्धांत को दर्शाती है।

डॉ. पीटर बाइंडर इन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन इन UNCITRAL मॉडल लॉ ज्यूरिसडिक्शन, 2nd एड। , देखा गयाः

" पुरस्कार को अलग रखने के लिए केवल आवेदन किया जा सकता है।

पार्टी की तारीख के बाद के तीन महीनों के दौरान

आवेदन करने पर पुरस्कार मिल गया है। केवल अगर एक पार्टी पी. राधा बाई और ओआरएस ने पुरस्कार में सुधार या व्याख्या के लिए अनुरोध किया है।

वी. पी. अशोक कुमार और एएनआर। [एन. वी. रमना, जे.]

कला के तहत। 33 क्या न्यायाधिकरण द्वारा अनुरोध का निपटारा करने के बाद तीन महीने की समय सीमा शुरू होती है। तीन महीने की समय सीमा से यह अपवाद कार्य समूह में इस डर के कारण आलोचना का विषय था कि इसका उपयोग देरी की रणनीति के रूप में किया जा सकता है। हालांकि, यद्यपि "निश्चितता और समीचीनता" के लिए वांछनीय होने के रूप में "अलग रखने के लिए आवेदनों के लिए एक अटूट समय सीमा" मांगी गई थी, प्रचलित दृष्टिकोण यह था कि शब्दों को बनाए रखा जाना चाहिए "क्योंकि वे अनुच्छेद 33 का उचित परिणाम प्रस्तुत करते हैं"। समय सीमा की इस "अटूटता" के अनुसार और मध्यस्थता पुरस्कारों की "निश्चितता और समीचीनता" के अनुसार, पुरस्कार को अलग करने के लिए कोई भी आधार जो तीनों के बाद सामने आता है।

महीने की समय सीमा समाप्त हो गई है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है।

42. सीमा अधिनियम की धारा 17 का विस्तार करना मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत निहित 'अटूटता' के सिद्धांत के विपरीत होगा।

43. प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया है कि यदि धारा 17 को धारा 34 तक विस्तारित नहीं किया जाता है, तो यह भारी अन्याय का कारण बनेगा और पक्षों को शरारत करने की गुंजाइश प्रदान करेगा। उत्तरदाताओं ने कई उदाहरणों का हवाला दिया है जहां पक्ष की धोखाधड़ी के कारण, एक आपत्ति करने वाला पक्ष

44. प्रत्यर्थी का तर्क धारा 17 की गलत धारणा पर आगे बढ़ता है। भले ही धारा 17 को धारा 34 तक बढ़ाया जाए, लेकिन यह प्रत्यर्थी की शिकायत का समाधान नहीं करेगी। धारा 17 सीमा अवधि के प्रारंभिक बिंदु को केवल इसलिए स्थगित नहीं करती है क्योंकि अपीलार्थियों ने धोखाधड़ी की है। धारा 17 में सभी प्रकार शामिल नहीं हैं। धोखाधड़ी और गलतियाँ। धारा 17 (1) (बी) और (डी) केवल शामिल हैं

45. इस सिद्धांत को यसवंत देवराव देशमुख बनाम में इस न्यायालय के एक फैसले से स्पष्ट किया गया है। वालचंद रामचंद कोठारी, 1950 एससीआर 852। इस मामले के तथ्य मोटे तौर पर समान हैं। एक डिक्री धारक सीमा अवधि (डिक्री पारित होने के 12 साल) की समाप्ति के बाद निष्पादन याचिका दायर करता है। सीमा प्रतिबंध को दूर करने के लिए, डिक्री-धारक ने आरोप लगाया कि निर्णय देनदार ने कुछ संपत्तियों ([2018] 12 एस. सी. आर. के स्वामित्व) के स्वामित्व को दबा कर एक डिक्री के निष्पादन को रोक दिया।

उन तथ्यों में समाचार पत्र) और समर्थन में सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 18 (धारा 17 के समतुल्य) 3 पर निर्भरता इस तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहाः

19. हमारी राय में, धोखाधड़ी स्थापित करने के लिए आवश्यक तथ्य

वर्तमान मामले में। किसी व्यक्ति से ज्ञान को छिपाना डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का उसका अधिकार निस्संदेह है।

उसे अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोकने से अलग, जिसमें से

उसके पास ज्ञान है। सीमा अधिनियम की धारा 18 में कहा गया है कि

धोखाधड़ी का अनुरोध किया गया, अर्थात्

पूर्व वैकल्पिक।

प्रभात अखबार के स्वामित्व का दमन, नहीं किया

उसके निष्पादन के लिए आवेदन करने के अपने अधिकार को उससे छिपाएँ

आदेश को।

46. इसी तरह पल्लवशेठ v. संरक्षक, (2001) 7 एस. सी. सी. 549,

इस न्यायालय ने कहा कि धारा 17 एक पक्ष के बचाव के लिए आती है

" कानूनी कार्यवाही को अपनाने में विफलता जब तथ्य या सामग्री ऐसा करने के लिए उसे जानबूझकर उससे छिपा दिया गया है "

47. धारा 34 के संदर्भ में, एक पक्ष किसी पुरस्कार को चुनौती दे सकता है।

जैसे ही उसे पुरस्कार मिलता है। एक बार पुरस्कार प्राप्त होने के बाद, एक पक्ष को पुरस्कार की जानकारी होती है और सीमा अवधि शुरू हो जाती है। द. इसलिए आपत्ति करने वाले पक्ष को पुरस्कार की जानकारी होने के बाद धारा 17 (1) (बी) और (डी) को लागू करने से रोक दिया गया है। सीमा अधिनियम की धारा 17 (1) (ए) और (सी) तब भी लागू नहीं हो सकती है, जब उन्हें धारा 34 तक बढ़ाया जाता है, क्योंकि वे एक ऐसे परिदृश्य से निपटते हैं जहां आवेदन 'प्रतिवादी की धोखाधड़ी' पर आधारित है या यदि आवेदन 'गलती के परिणामों से राहत' के लिए है। धारा 34 आवेदन पुरस्कार पर आधारित है न कि प्रतिवादी की धोखाधड़ी पर और गलती के परिणाम से राहत की मांग नहीं करता है।

48. धोखाधड़ीपूर्ण आचरण जहाँ सीमा की धारा 17

अधिनियम से आपत्ति करने वाले पक्ष को मदद मिलती जहां पुरस्कार देने में धोखाधड़ी हुई थी। हालाँकि, ऐसे परिदृश्य में, धारा 17 का सहारा लेना आवश्यक नहीं है। यदि पुरस्कार देने में कोई धोखाधड़ी होती है, तो धारा 34 (3) के तहत पुरस्कार की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है।

संतुष्ट। पुरस्कार की कोई भी प्राप्ति प्रभावी रसीद होनी चाहिए। भारत संघ बनाम में यह न्यायालय। टेको त्रिची इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, (2005) 4 एस. सी. सी. 239 ने अभिनिर्धारित किया किः

' हालाँकि सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 18 और सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 17 के पाठ में थोड़ा अंतर है, लेकिन वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक प्रावधान वही है।

पी. राधा बाई और ओआरएस। वी. पी. अशोक कुमार और एएनआर। [एन. वी. रमना, जे.]

" 8.धारा 31 की उप-धारा (5) के तहत मध्यस्थता पुरस्कार का वितरण केवल औपचारिकता का विषय नहीं है। यह सार की बात है। धारा 31 के तहत चरण पारित होने के बाद ही अधिनियम की धारा 32 के अर्थ के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति का चरण उत्पन्न होता है। पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार का वितरण, प्रभावी होने के लिए, पक्ष द्वारा "प्राप्त" किया जाना चाहिए। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा यह वितरण और पुरस्कार के पक्ष द्वारा रसीद कई अवधियों की सीमा निर्धारित करती है।

जैसे धारा 33 (1) के तहत 30 दिनों के भीतर किसी पुरस्कार में सुधार और व्याख्या के लिए आवेदन, धारा 33 (4) के तहत अतिरिक्त पुरस्कार देने के लिए आवेदन और

धारा 34 (3) आदि के तहत एक पुरस्कार को अलग करना। चूँकि पुरस्कार की प्रति के इस वितरण का प्रभाव पक्ष को कुछ अधिकार प्रदान करने के साथ-साथ उस तिथि से गणना की जाने वाली सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति पर उन अधिकारों का प्रयोग करने के अधिकार को समाप्त करने का भी है, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा पुरस्कार की प्रति और प्रत्येक पक्ष द्वारा उसकी प्राप्ति का वितरण।

यह मध्यस्थता कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण चरण का गठन करता है। 9. रेलवे जैसे विशाल संगठन के संदर्भ में,

पुरस्कार की प्रति उस व्यक्ति को प्राप्त करनी होगी जिसके पास है

कार्यवाहियों की जानकारी और मध्यस्थता निर्णय को समझने और उसकी सराहना करने के लिए और धारा 33 की उप-धारा (1) या (5) के तहत या धारा 34 की उप-धारा (1) के तहत आवेदन दायर करने के मामले में निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होगा।

49. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि एक बार पार्टी ने

पुरस्कार प्राप्त करने पर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत सीमा अवधि शुरू हो जाती है। सीमा अधिनियम की धारा 17 ऐसे आपत्ति करने वाले पक्ष के बचाव में नहीं आएगी।

50. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थियों को धारा 34 के तहत पुरस्कार प्राप्त होते ही उसे चुनौती देने का अधिकार था। इस मामले में, उत्तरदाताओं ने 21.02.2010 पर पुरस्कार प्राप्त किया। कथित समझौता ज्ञापन 09.04.2010 पर निष्पादित किया गया था। एक बार जब उत्तरदाताओं को पुरस्कार प्राप्त हो जाता है, तो धारा 34 (3) के तहत समय शुरू हो जाता है और सीमा अधिनियम की धारा 17 या धारा 9 के अनुसार भी कोई भी बाद की अक्षमता मायने नहीं रखती है। केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने कुछ धोखाधड़ी की थी, यह उत्तरदाता के पुरस्कार को चुनौती देने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा यदि तथ्य [2018] 12 एस

धारा 34 आवेदन दाखिल करना उनके ज्ञान के भीतर था जब उत्तरदाताओं को पुरस्कार प्राप्त हो गया था, धारा 34 (3) के तहत निर्धारित तीन मीटर की अवधि शुरू होने लगती है। उत्तरदाताओं पर एक पुरस्कार को चुनौती देने के लिए धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर करने का दायित्व है। इसलिए, उपरोक्त डिस्क के आलोक में, यहां उत्तरदाताओं के खिलाफ कानून के सवाल का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है।

51. उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, निर्णय और उच्च न्यायालय का दिनांक 18.06.2012, सिविल संशोधन याचिका संख्या में।

2246 , 2383 और 2012 के 2458 को अलग रखा गया है, और 2011 के सभी आई. ए. सं. 598 के आदेश में भी 236 दिनों की देरी को मंजूरी दी गई है।

आपत्तियों को दरकिनार कर दिया जाता है, तदनुसार इन अपीलों को लागत के संबंध में अनुमति दी जाती है।

दिव्या पांडे

अ

पील ए